न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/76/2019

अपींलाट तमाची खां पुत्र श्री दुला खां जाति मुसलमान
निवासी भंवरीसर, तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिव

आदेश

दिनांक : 11.12.2019

अपीलार्थी तमाची खां पुत्र श्री दुला खां जाति मुसलमान निवासी भंवरीसर, तहसील शिव जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी शिव के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 24.10.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या 923788 दिनांक 21.09.2019 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिव को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी को निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया था जो आदिनांक जमा नहीं करवाई गई है। शुल्क जमा कराने पर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। यह भी प्रकट किया कि शुल्क जमा कराने की सूचना के प्रेषण एवं शुल्क की संदाय की मध्यवर्ती अवधि को 30 दिन की अवधि में शामिल नहीं किया जा सकता है तथा प्रस्तुत अपील समय पूर्व होने से खारिज योग्य है। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट व रेस्पोडेंट को सुना एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा को निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया था जो आदिनांक जमा नहीं करवाई गई है, लिहाजा अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र निस्तारित नहीं होकर लम्बित है एवं यह अपील समय पूर्व (प्रीमेच्योर) है। रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Ansh

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.12.28 13:42:07 IST
Reason: SelfAttested